उत्तराखण्ड शासन

राजस्व अनुभाग–3

अधिसूचना

01 अक्टूबर, 2021 ई0

संख्याः–818/XVIII(3)2021-04(16)/2017–राज्यपाल, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड के चकबन्दी अधिष्ठान (राजस्व विभाग) की सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड राजस्व चकबन्दी (उच्चतर) सेवा नियमावली, 2021

भाग 1–सामान्य

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम, **उत्तराखण्ड़ राजस्व चकबन्दी (उच्चतर) सेवा नियमावली, 2021** है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति

2. उत्तराखण्ड़ राजस्व चकबन्दी (उच्चतर) सेवा है जिसमें समूह "क" एवं "ख" के पद समाविष्ट है।

परिभाषाएं

3. जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में:–

(क) **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से "राज्यपाल" अभिप्रेत है;

(ख) **"भारत का नागरिक"** से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान के भाग–II के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाए;

(ग) **"आयोग"** से "उत्तराखण्ड़ लोक सेवा आयोग" अभिप्रेत है;

(घ) **"संविधान"** से भारत का "संविधान" अभिप्रेत है;

(ड़) **"सरकार" से** उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(च) **"राज्यपाल"** से उत्तराखण्ड के सज्यपाल अभिप्रेत है;

(छ) **"सेवा का सदस्य"** से इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमावली या आदेशों के अधीन

सेवा के संवर्ग में स्थायी रुप से/मूल पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;

(ज) **"सेवा"** से उत्तराखण्ड राजस्व चकबन्दी (उच्चतर) सेवा अभिप्रेत है;

(झ) **"मौलिक नियुक्ति"** से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात् की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो;

(ञ) **"भर्ती का वर्ष"** से कैलेण्डर वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग 2–संवर्ग

सेवा संवर्ग

4. (क) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय;

(ख) सेवा में कर्मचारियों/अधिकारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश द्वारा परिवर्तन न किया जाय, उतनी होगी, जो परिशिष्ट 'क' में दी गयी है:

परन्तु यह कि:–

(i) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल किसी पद को इस प्रकार प्रास्थागित कर सकेंगे, कि कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा;

(ii) राज्यपाल ऐसे स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं जैसे वे उचित समझें।

भाग 3–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. बन्दोस्त अधिकारी चकबन्दी, उप संचालक चकबन्दी एवं संयुक्त संचालक चकबन्दी के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

पदनाम	भर्ती का स्रोत
(i) बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी	मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे चकबन्दी अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा;
(ii) उप संचालक चकबन्दी	मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा;
(iii) संयुक्त संचालक चकबन्दी	मौलिक रुप से नियुक्त ऐसे उप संचालक चकबन्दी में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रुप में पाँच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये चयन समिति के माध्यम से, पदोन्नति द्वारा;

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग 4–भर्ती प्रकिया

रिक्तियों की अवधारणा

7. नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड़ की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा।

पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

8. (1) बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, उप संचालक, चकबन्दी एवं संयुक्त संचालक, चकबन्दी के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार

भाग 5–नियुक्ति, प्रशिक्षण, परिवीक्षा, स्थायीकरण एवं ज्येष्ठता

नियुक्ति

9. (1) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर जिसमें वे नियम 8 के अधीन बनायी गयीं सूचियों में हों, नियुक्ति करेगा।

(2) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्तियों का आदेश जारी किया जाता है, तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार पर या उस क्रम में, यथास्थिति, जिस क्रम में उनका नाम उस संवर्ग में है, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है, किया जायेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में नियुक्ति कर सकता है। यदि सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियाँ एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या इन नियमों के अधीन अगले चयन के बाद तक, इनमें जो भी पहले हो, नहीं की जायेगी।

परिवीक्षा

10. (1) सेवा या किसी स्थायी पद पर या उसके विरूद्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा;

(2) नियुक्ति प्राधिकारी पृथक–पृथक मामले में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए जब तक अवधि बढ़ाई गयी है, अवधि बढ़ा सकता है, जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे:

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी;

(3) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी समय या परिवीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परिवीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परिवीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर, यदि कोई है, प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है,

तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी;

(4) ऐसे परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (3) के अधीन प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवाएं समाप्त कर दी गई है, किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा;

(5) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा अवधि की संगणना के प्रयोजन हेतु उस निरन्तर सेवा को गिने जाने की अनुमति दे सकेगा, जो उस विशिष्ट संवर्ग में शामिल किये गये पद पर या किसी समान अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में प्रदान की गयी हो।

स्थायीकरण

11. किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी नियुक्ति में उसकी परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर स्थायी किया जा सकेगा यदि उसने–

(क) विहित प्रशिक्षण, यदि कोई हो, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो;

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया गया हो;

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा अधिप्रमाणित हो; तथा

(घ) नियुक्ति प्राधिकारी का समाधान हो जाये कि वह स्थायी किये जाने हेतु अन्यथा उपयुक्त है।

ज्येष्ठता

12. सेवा में किसी श्रेणी के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय–समय पर यथा संशोधित उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार अवधारित की जायेगी।

भाग 6–वेतन आदि

वेतनमान

13. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुज्ञेय वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान परिशिष्ट 'ख' के अनुसार होंगे।

परिवीक्षा के दौरान वेतन

14. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकार सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी

जायेगी, जब उसने एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली हो, जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाये तो इस प्रकार बढायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा हो, सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा:

परन्तु यदि संतोष प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो ऐसी बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायेगी जब तक की नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे;

(3) परिवीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग 7—अन्य प्रावधान

पक्ष समर्थन

15. किसी पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न सिफारिशों पर चाहे लिखित हो या मौखिक, पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन

16. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में जो विनिर्दिष्ट रूप से इन नियमों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति, राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतः लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

सेवा शर्तों का शिथिलीकरण

17. जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशेष मामले में अनुचित कठिनाई

हो, तो वे इस मामले में लागू नियमावली में किसी बात के होते हुए भी आदेश द्वारा इस सीमा तक तथा ऐसी शर्तो के अधीन इस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त कर देगी या शिथिल कर देगी जो इस मामले के सम्बन्ध में न्यायोचित तथा सम्यतापूर्वक कार्यवाही करने के लिए उचित समझे:

परन्तु यह कि जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया है, वहां नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्त करने या शिथिल करने से पूर्व आयोग से परामर्श करना होगा।

व्यावृत्ति

18. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रुप से कमजोर वर्गों तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट–'क'

नियम– 4(2),

पद नाम	उधमसिंहनगर हेतु	हरिद्वार हेतु	कुमायूं मण्डल हेतु	गढ़वाल मण्डल हेतु	राजस्व परिषद् हेतु	योग
बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी	01	01	01	01	–	04
उप संचालक, चकबन्दी	–	–	01	01	–	02
संयुक्त संचालक, चकबन्दी	–	–	–	–	01	01

परिशिष्ट–'ख'

नियम–13(2),

पद नाम	वेतनमान (मैट्रिक्स स्तर)
बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी	वेतन मैट्रिक्स 56100–177500 (स्तर–10)
उप संचालक, चकबन्दी	वेतन मैट्रिक्स 67700–208700 (स्तर–11)
संयुक्त संचालक, चकबन्दी	वेतन मैट्रिक्स 78800–209200 (स्तर–12)

आज्ञा से,

डॉ0 बी0वी0आर0सी0 पुरूषोत्तम,

सचिव, राजस्व।

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of **'the Constitution of India'**, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. **818/XVIII(3)2021-04(16)/2016,** Dehradun, dated: October 01, 2021 for general information.

NOTIFICATION

October 01, 2021

No.818/XVIII(3)/2021-04(16)/2017--In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of **"the Constitution of India"** and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules, to regulate the recruitment and condition of services of persons appointed to the service of the Uttarakhand Consolidation Establishment (Revenue Department);

The Uttarakhand Revenue Consolidation (Higher) Service Rules, 2021

PART I-GENERAL

Short title and Commencement

1. (1) These Rules may be called the **Uttarakhand Revenue Consolidation (Higher) Service Rules, 2021.**

(2) It shall come into force at once.

Status of the Service

2. The service of Uttarakhand Revenue Consolidation (Higher) service which comprises Group 'A' and 'B' posts.

Definitions

3. In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context:-

(a) **'Appointing Authority'** means the Governor;

(b) **"Citizen of India"** means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;

(c) **"Commission"** means "Uttarakhand Public Service Commission".

(d) **'Constitution'** means "the Constitution of India";

(e) **'Government'** means the State Government of Uttarakhand;

(f) **'Governor'** means the Governor of Uttarakhand;

(g) **'Member of the Service'** means a person substantively appointed under these rules or rules or orders in force prior to the commencement of these rules to a post in the cadre of the Service;

(h) **'Service'** means the Uttarakhand Revenue Consolidation (Higher) Services;

(i) **'Substantive appointment'** means an appointment, not being an adhoc appointment, on a post in the cadre of the service and made after selection in accordance with the rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instruction issued by the Government;

(j) **'Year of recruitment'** means a period of twelve months commencing from the first day of July of the calendar year.

PART II-CADRE

Cadre of Service

4. (1) The strength of the Service of employees/officers and each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the Service of officers and each category of posts therein shall, until orders employee varying the same are passed under sub-rule (1) as given in Appendix "A":

Provided that-

(i) the Appointing Authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without thereby entitling any person to compensation;

(ii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART III-RECRUITMENT

Source of Recruitment

5. Recruitment to the various categories of posts in service shall be made from the following sources:-

Sl. No.	Designation	Source of recruitment
(i)	**Settlement Officer Consolidation**	By promotion through the selection committee amongst such substantively appointed Consolidation officers who has completed 7 years services as such on the first day of the year of recruitment on the basis of seniority subject to the rejection of unfit.
(ii)	**Deputy Director Consolidation**	By promotion through the selection committee amongst such substantively appointed Settlement Officers Consolidation who has completed 7 years services as such on the first day of the year of recruitment on the basis of seniority subject to the rejection of unfit.
(iii)	**Joint Director Consolidation**	By promotion through the selection committee amongst such substantively appointed Deputy Director Consolidation who has completed 5 years services as such on the first day of the year of recruitment on the basis of seniority subject to the rejection of unfit.

Reservation

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Others Backward Classes, Economically weaker section and other category to the State of Uttarakhand shall be in accordance with the orders of the Government in force at the time of the recruitment.

PART IV- PROCEDURE FOR RECRUITIMENT

Determination of vacancies

7. The Appointing Authority shall determine the number of vacancies to be filled during the course of the year and also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Others Backward Classes, Economically weaker section and other categories belonging to the State of Uttarakhand under Rule 6.

Procedure of recruitment by promotion

8. (1) Recruitment by promotion shall be made on the basis of seniority subject to the rejection of unfit by the selection committee constituted under the Uttarakhand Constitution of Departmental Promotion Committee (For Posts outside the Purview of Public Service Commission) Rules, 2002, as amended from time to tome which shall comprise following members:-

(a) Principal Secretary/Secretary Revenue Department	–	**Chairman**
(b) Secretary, Personnel or any person nominated by him, not below than the rank of Additional Secretary.	–	**Member**
(c) An officer belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes category nominated by the Principal Secretary/Secretary Revenue Department, not below than the rank of Additional Secretary.	–	**Member**

(2) (For the promotion of aforesaid posts) the provision of 'the Uttarakhand Government Servant (Criterion for recruitment by promotion) Rules, 2004' and 'the Uttarakhand (Out of purview of the Public Service Commission) Selection procedure for the promotion in the State services Rules, 2013' shall be applicable.

(3) The Appointing Authority shall prepare an eligibility list of the candidates according to the Uttarakhand Promotion (On the Post of Outside the Purview of Public Service Commission)Selection Eligibility list Rules, 2003 and place it before the selection committee along with their character rolls and such other records pertaining to them, as may be considered necessary.

(4) The selection committee shall consider the cases of candidates on the basis of record referred to in sub rule (3) and if he deem necessary, the committee can take interview of the candidates.

(5) The selection committee shall prepare the list of the candidates on the basis of documents referred in sub rule (2) & (3) in accordance orders of the Government in force at the time of recruitment and forward the same to the Appointing Authority.

PART V-APPOINTMENT, TRAINING, PROBATION, CONFIRMATION AND SENIORITY

Appointment

9. (1) The Appointing Authority shall make appointments by taking the names of candidates in the order in which they stand in the lists prepared under rule 8.

(2) If more them one orders of appointment are issued in respect of any one selection, a combined–order shall also be issued, mentioning the names of the persons, in order of seniority, as determined, in the selection, or as the case may be, as it stood, in the cadre, from which they are promoted.

(3) The Appointing Authority may make appointments in temporary or officiating capacity also from the list prepared under sub rule (1). If no candidate is available on the lists, he may make

appointments in such vacancies from amongst persons eligible for appointment under these rules. Such appointment shall not last for a period exceeding one year or beyond the next selection under these rules, whichever be earlier.

Probation

10. **(1)** A person on substantive appointment to a post in the Service shall be placed on probation for a period of one year.

(2) The Appointing Authority may, for reasons to be recorded, extend period of probation in individual cases specifying the date up to which the period is extended:

Provided that, save in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances beyond two years.

(3) If it appears to the Appointing Authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(4) A probationer who is reverted or whose Services are dispensed with under sub-rule (3) shall not be entitled to any compensation.

(5) The Appointing Authority may allow continuous service, rendered in an officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post, to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

Confirmation

11. A probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation, if-

(a) he has successfully undergone the prescribed training, if any;

(b) his work and conduct reported satisfactory;

(c) his integrity is certified; and

(d) the Appointing Authority is satisfied that he is otherwise fit for confirmation.

Seniority

12. The seniority of persons appointed substantively on the post of service in any category shall be determined as per the Uttarakhand Government Servant Seniority Rules, 2002, as amended from time to time.

PART VI-PAY ETC.

Pay Scales

13. **(1)** The scales of pay admissible to persons appointed to the various categories of posts in the service shall be such as may be determined by the Government from time to time;

(2) The scales of pay at the time of the Commencement of these rules are given in Appendix "B".

Pay During Probation

14. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary a person on probation if he is not already in permanent Government service shall be allowed his first increment in the time-scale, when he has completed one year of satisfactory service, he has completed the probation period and is also confirmed:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not be counted for increment unless the Appointing Authority directs otherwise;

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post, under the Government, shall be regulated, by the relevant Fundamental Rules:

Provided that, if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not be counted for increment unless the Appointing Authority directs otherwise;

(3) The pay, during probation of a person who is already in permanent government service shall be regulated by the relevant rules applicable to government service generally governing in connection with the affairs to the state.

PART-VII-OTHER PROVISIONS

Canvassing

15. No recommendation, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the Post or Service shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature shall disqualify him for appointment.

Regulation of other matters

16. In regards to the matters not specifically covered by these rules or special orders, persons appointed to the service shall be governed by the rules, regulations and orders applicable generally to Government servants serving in connection with the affairs of the State.

Relaxation from the conditions of service

17. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule regulating the conditions of service of persons appointed to the service caused undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of this rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that where a rule has been framed in consultation with the commission, the commission shall be consulted before the requirements of the rules are dispensed with or relaxed.

Saving

18. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Others Backward Classes, Economically weaker section and other special categories of persons of the State of Uttarakhand in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Appendix- 'A'

Rule-4(2)

Name of Post	For Udhamsingh Nagar	For Haridwar	For Kumaon Mandal	For Garhwal Mandal	For Revenue Board	Total
Settlement Officer Consolidation	01	01	01	01	-	04
Deputy Director Consolidation	-	-	01	01	-	02
Joint Director Consolidation	-	-	-	-	01	01

Appendix- 'B'

Rule-13(2)

Name of Post	Pay Scale (Pay Matrix's)
Settlement Officer Consolidation	Pay matrix's 56100-177500 (Level-10)
Deputy Director Consolidation	Pay matrix's 67700-208700 (Level-11)
Joint Director Consolidation	Pay matrix's 78800-209200 (Level-12)

By Order,
Dr. B.V.R.C. PURUSHOTTAM,
Secretary, Revenue.

टिप्पणी–राजपत्र, दिनांक 23–10–2021, भाग 1 में प्रकाशित।
[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित––]
पी0एस0यू0 (आर0ई0) 44 राजस्व/497–29–11–2021–50 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।